

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,  
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,  
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

विषय :- मिर्जापुर में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि० द्वारा 132 के०वी० जिगना दादर कला पारिषण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-08बी/यूपी. /04/50/2017/एफसी/668 दिनांक 07.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-1657/11-सी-एफपी/यूपी/24154/2017 दिनांक 20.12.2017 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है, जो इस प्रकार है :-

क्रमांक	आपत्ति	निराकरण
1.	राज्य सरकार द्वारा कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.08.2017 द्वारा चाही गयी बिन्दुवार सूचना के बिन्दु सं०-5 की अनुपालन में आख्या नहीं उपलब्ध करायी गयी है।	बिन्दु सं०-5 के अनुपालन में प्रस्तावक संस्था द्वारा विकल्पों में सन्निहत आरक्षित वनभूमि की गणना कर दी गयी है एवं जीओ. कोआर्डिनेटस भी अंकित कर दिया गया है, जो 5 प्रतियों में संलग्न है।
2.	प्रस्तावक में प्रस्तुत की गयी SOI Toposheet मूल रूप में प्रस्तुत नहीं की गयी है।	SOI Toposheet (05 सेट) मूल रूप में प्रेषित है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 20.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

संख्या-3004(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(मनोज कुमार सिंह)  
अनु सचिव।